

R 172-83217

64

!! श्री !!

निगरानी प्रकरण क्रमांक :/2017

प्रस्तुति दिनांक :/01/2017

श्रीमान राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश के
न्यायालय में

1. चारु पिता श्री शांताराम येवतीकर
2. क्रांति पिता श्री शांताराम येवतीकर (कनाटे)
3. ज्योति पिता श्री शांताराम येवतीकर
4. संजय कुमार पिता श्री शांताराम येवतीकर
सभी निवासी-गृह निर्माण समिति इन्दौर रोड,
सनावद जिला खरगोन (म.प्र.)

विरुद्ध

.....प्रार्थीगण
श्री राजेश्वर सिंह
द्वारा आज दि. 09.11.17 को
प्रस्तुत

राजेश्वर सिंह
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कुंदनसिंह पिता श्री प्रहलादसिंह
2. विक्रमसिंह पिता श्री प्रहलादसिंह
दोनों निवासी-राज मंदिर गली, सनावद
जिला खरगोन (म.प्र.)
3. महेन्द्रसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह राजपुत
निवासी-सांई कॉलोनी, डिग्री कॉलेज के पास,
ग्राम पंधाना तहसील पंधाना जिला खण्डवा (म.प्र.)
4. श्रीमती रूपकुंवरबाई पति श्री रघुनाथसिंह चौहान
निवासी-द्वारा श्री विक्रमसिंह चावडा, 356-ए, संगम नगर,
स्कीम नम्बर 51, आईडिथल स्कूल के सामने, इन्दौर (म.प्र.)
5. श्रीमती पदमकुंवरबाई पति श्री अखिलेशसिंह चौहान
निवासी-ग्राम मोहमदपुर तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)
6. श्रीमती चांदकुंवरबाई पति श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान
निवासी-कुसाम्बिया तहसील पंधाना जिला खण्डवा (म.प्र.)
7. श्रीमती किरणकुंवर पति श्री चन्द्रभानसिंह चौहान
निवासी- ग्राम मोहमदपुर तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)
8. श्रीमती वंदनाबाई पति श्री दुपतसिंह पंवार
निवासी-ग्राम जामन्या तहसील करही
जिला खरगोन (म.प्र.)
9. दीक्षा पिता श्री दुपतसिंह पंवार अवयस्क तर्फे माता
श्रीमती वंदनाबाई पति श्री दुपतसिंह पंवार
निवासी- ग्राम जामन्या तहसील करही
जिला खरगोन (म.प्र.)
10. सोवानी पिता श्री दुपतसिंह पंवार अवयस्क तर्फे माता
श्रीमती वंदनाबाई पति श्री दुपतसिंह पंवार
निवासी- ग्राम जामन्या तहसील करही
जिला खरगोन (म.प्र.)
11. गजराजसिंह पिता श्री दुपतसिंह पंवार अवयस्क तर्फे माता
श्रीमती वंदनाबाई पति श्री दुपतसिंह पंवार
निवासी- ग्राम जामन्या तहसील करही
जिला खरगोन (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण
अविरत.....2

राजेश्वर सिंह

//2//

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय, सनावद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ-27/2014-15 में दिनांक 18/10/2016 को पारित आदेश, जिसके द्वारा स्वत्व के संबंध में प्रकरण के निराकरण का अधिकार नहीं होने का आधार लिखकर प्रकरण स्थगित किया गया है जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण की यह पुनरीक्षण सविनय प्रस्तुत है।

आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने में लगा समय मुजरा करते हुए यह पुनरीक्षण याचिका नियत समयावधि में प्रस्तुत होकर निश्चित न्याय शुल्क पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।





राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 172-पीबीआर/17

जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>